मनु

प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य मनु 'मानव धर्मशास्त्र' के प्रणेता माने जाते हैं जिसका दूसरा नाम 'मनुस्मृति' के रूप में भी विख्यात है। मनुकालीन भारत में 'धर्म' ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का सूत्र था। सत्यमित्र दुबे के शब्दों में, "मनु की राज-व्यवस्था की वास्तविक कसौटी धर्म ही है।"

(1) राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त →

आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'मानव धर्मशास्त्र' में राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का विवरण दिया है। धर्म ही मानव धर्मशास्त्र' का मूल मंत्र है, अतः राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है- उसे सर्वमान्य बनाना। इस दृष्टि से प्रायः मनु महाराज पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को 'अधिनायक' या पूर्णसत्ताधारी बना दिया है, जिसके प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का पावन कर्तव्य है। परन्तु साथ ही प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। राजा पर कोई भौतिक नियन्त्रण नहीं था। उसका पथ प्रदर्शक 'धर्म' था। अतः यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि 'मानव धर्मशास्त्र' में धर्म का अंकुश राजा को निरंकुश होने से बचा लेता है।

मनुस्मृति का राजा धर्म अर्थात् प्रचलित कानून से बंधा है जबकि प्लेटो का दार्शनिक राजा स्वयं कानून का प्रवक्ता है।

(2) दंड का महत्व →

मनुस्मृति के अन्तर्गत राज्य के सात अंग गिनाए गए हैं → (1) स्वामी (2) अमात्य (3) पुर (4) राष्ट्र (5) कोष (6) दंड और (7) सुहृद (मित्र)। इन सप्तांग सिद्धान्त का प्रथम प्रवर्तक मनु है। ये सातों राज्य के आधार-तत्व हैं; इनमें से किसी एक को भी हटाने से राज्य का अंत हो सकता है। परन्तु 'दण्ड' राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजनीति में दंड के महत्व को समझने के लिए इससे अधिक